*गोवा, दमण और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1982

(1982 का अधिनियम संख्यांक 1)

[19 फरवरी, 1982]

गोवा, दमण और दीव विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं को हटाने के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवे वर्ष में गोवा, दमण और दीव विधान सभा द्वारा यह अधिनियमित हो, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमण और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1982 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना----कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है गोवा, दमण और दीव विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

[1][अनुसूची

1. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ;

2. गोवा विश्वविद्यालय या गोवा विश्वविद्यालय से संपृक्त किसी समिति, परिषद् या निकाय के कार्यकलाप से संबंधित कोई पद ;

3. आर्थिक विकास निगम, गोवा, दमण और दीव के अध्यक्ष का पद ;

4. कदम्बा ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पद ;

5. गोवा, दमण और दीव आवासन बोर्ड के अध्यक्ष का पद ;

6. गोवा, दमण और दीव टूरिजम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पद ;

7. गोवा हैंडीक्राफ्ट्स रूरल एंड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पद ;

8. गोवा, दमण और दीव औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष का पद ;

9. गोवा, दमण और दीव सरकार द्वारा गठित किसी कानूनी या अकानूनी निकाय या समिति या निगम के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद :

परंतु यह कि पूर्वोक्त किसी समिति या निकाय या निगम का अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य प्रतिकर भत्ते के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण---पूर्वोक्त प्रविष्टियों के प्रयोजनार्थ---

(i) "प्रतिकर भत्ते" से किसी पद धारक को, उस पद के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की पूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ संदेय दैनिक भत्ते (यह भत्ता गोवा, दमण और दीव विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1964 (1965 का 2) के अधीन विधान सभा सदस्य जितने दैनिक भत्ते की रकम का हकदार है उससे अधिक नहीं होगा], वाहन भत्ते, मकान किराया भत्ते, यात्रा भत्ते की धनराशि अभिप्रेत है ;

(ii) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है ;

(iii) "अकानूनी निकाय" से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है ।]

---

* यह प्राधिकृत हिंदी पाठ नहीं है ।

[1] 1985 के गोवा, दमण और दीव विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम (1985 का अधिनियम सं0 11) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।